

किस्सा आज का

मृदुला गर्ग



क्रिस्सा आज का

कहानी



मृदुला गर्ग

एक सफल पुरुष है (राजा नहीं) । तराशी हुई पत्नी के साथ रहता है (पत्नी सुन्दर है या नहीं, कोई नहीं जानता) । तराश इतनी बा-कशिश है कि नज़र पीछे या भीतर नहीं जा पाती । शहर की शानदार बस्ती में, उम्दा बँगले में रहता है (महल में नहीं) । राजा निरबंसिया नहीं है । एक सज़ा-सँवरा लड़का भी है (सुन्दर ? आजकल सौन्दर्य की कौन बात करता है, साहब) । लो कह डाला । क्रिस्सा आज का है । गुज़रे वक़्त और आज में यही तो फ़र्क़ आया है । लफ़ज़ बदल गये हैं । उनके मतलब वही हैं जो पहले थे ।

सफल पुरुष की तराशी हुई पत्नी भी शादी से पहले सफल पुरुष थी । क्षमा करें, नारी मुक्तिवाहिनी, सफल पुरुष नहीं, सफल दफ़्तरी थी । मतलब एक ही है । पर हम ग़लती माने लेते हैं । सारा खेल शब्दों का है न । तो शादी से पहले पत्नी होने वाले पति से ज़्यादा कमाया करती थी । पदवी भी ऊँची थी । फिर भी शादी के बाद रानी बनने पर उसने दूसरों की नौकरी छोड़ दी । पति-घर-बच्चा तो था ही (वह तो हर औरत का होता है), पर सफल पुरुष की पूरक होने पर एक पूरा राज (समाज) हाथ आ जाता है, जिसकी सेहत का दारोमदार पूरी तरह दावतशाही पर रहता है । पति के साथ जाम से जाम मिला कर, तशतरी भर- भर कर, उसकी जिम्मेवारियाँ निभानी पड़ती हैं । अरे बाबा, सीधा बोलो न । एक अमीर आदमी अपनी बीवी-बच्चे के साथ शहर के बढ़िया बँगले में रहता है । आगे ? हाँ, आगे । कहती हूँ । पर पहले मेरे मन में एक ख़याल आ रहा है उसे सुन लीजिए । यह क्रिस्सा जो मैं सुनाने जा रही हूँ, क्या सौ-पचास साल बाद लोककथा की तरह सुनाया जा सकेगा ? जैसे गुज़रे वक़्त के राजा-रानी के क्रिस्से आज सुनाये जाते हैं ? गुज़रे वक़्त पर ज़ोर दे कर ? तौबा करो । अमीरों के क्रिस्से भी कभी गुज़रे वक़्त के हुए हैं ! हाँ, शायद ठीक कहते हो । बहुत होगा तो सफल पुरुष की जगह सफल स्त्री आ बैठेगी । वह भी शायद न हो । बाक़ी कहानी... अच्छा सुनिए ।

हर राजा का, आप जानते है, एक मुँहलगा नाई होता है । और हर रानी की एक मालिशवाली । बदन लगी । अब जिसके हाथों रोज़ बदन सौंपोगे, (जब चाहे गर्दन दबा दे) उस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा ।

वकील की बीवी भी करती है । वकील कहा क्या मैंने ? सफल पुरुष क्या वकील है ? चलो, मान लेते हैं । वकील, डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर, उद्योगकर्मी, नौकरशाह, सभी आजकल के राजा-महाराजा हैं । पढ़ाई ज़रूर करते हैं, राजा बनने के लिए, पर पढ़ाई करने का हक़, बाकायदा, पुश्तैनी है ।